"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी 2005—माघ 29, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2005

क्रमांक एफ 2-27/2004/1-8.—श्री टी. पी. शर्मा, स्थानापन्न सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2005

क्रमांक 57/81/2005/1-8/स्था.—श्री जे. मिंज, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 2-2-2005 से 10-2-2005 तक 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री पी. सी. सूर्य, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ श्री मिंज के अवकाश अवधि में उनका कार्य भी संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री जे. मिंज को संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2005

क्रमांक 51/65/2005/1-8/स्था.—श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 1-2-2005 से 5-2-2005 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 6 फरवरी, 2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. गुप्ता को अवर सचिव, छ. ग. शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2005

क्रमांक 55/14/2005/1-8/स्था.—श्री बालकृष्ण शर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 10-1-2005 से 14-1-2005 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 जनवरी, 2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बालकृष्ण शर्मा को अवर सचिव, छ. ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बालकृष्ण शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

राजभवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक एफ 1-4/2004/रास/यू-1.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, लेफ्टि. जन. के. एम. सेठ, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त), कुलाधिपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद के चयन हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों की एक तालिका अनुशंसित करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त करता हूं :—

1. डॉ. हरि गौतम डी-3, हाऊस 3090, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070	कुलाधिपति द्वारा मनोनीत
2. प्रो. एच. पी. दीक्षित कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि.. मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110 067	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत
3. मान. श्री रमेश बैस सांसद, 9-रवि नगर, रायपुर	विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित

2. और यह कि मैं, डॉ. हरि गौतम, को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-
(लेफ्टिनेंट जनरल के. एम. सेठ)
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त)
कुलाधिपति
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर.

Raipur, the 9th February 2005

No. F 1-4/2004/RS/U-1.—In exercise of powers conferred under sub section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) I, Lt. Gen. K. M. Seth, PVSM, AVSM (Retd.), Kuladhipati of the Pt. Ravishankar Shukla Vishwavidyalaya, Raipur, hereby appoint a Committee Consisting of the following persons namely :—

1. Dr. Hari Goutam D-3, House 3090, Vasant Kunj, New Delhi-110 070	Nominated by the Kuladhipati
2. Prof. H. P. Dixit Vice Chancellor, Indira Gandhi National Open Univ. Maidan Garhi, New Delhi- 110 067	Nominated by University Grants Commission
3. Hon'ble Shri Ramesh Bais M. P. (Loksabha) 9, Ravi Nagar, Raipur (C.G.)	Elected by the Executive Council

to recommend a panel of not less than three persons for the office of the Kulpati of the said Vishwavidyalaya.

2. Further, I appoint Dr. Hari Goutam to be the Chairman of the Committee.

3. The Committee shall submit the panel within six weeks from the date of issue of this notification.

Sd/-
(Lt. Gen. K. M. Seth)
PVSM, AVSM (Retd.)
Kuladhipati
Pt. Ravishankar Shukla Vishwavidyalaya
Raipur (C. G.)

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2005

क्रमांक एफ 12-10/दो-गृह/सै. क./2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 2082/1167/2001, दिनांक 20-3-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,

सरल क्रमांक 5 के अशासकीय सदस्य के शीर्षक (अ) के सदस्य संख्या 1 से 4 तथा शीर्षक (ब) के सदस्य संख्या 1 और 2

निम्नलिखित सदस्य प्रतिस्थापित किये जायें :—

(अ) 1. विंग कमांडर एस. सिंधवानी (सै. क.)
27/197 सिंधवानी हाऊस, जवाहर नगर, रायपुर (छ. ग.).

2. ले. कर्नल जी. बी. धाटगे (से. नि.)
33/197, उत्तरायण नया हनुमान मंदिर के पास,
बूढ़ापारा, रायपुर (छ. ग.).

3. कमांडर बी. आर. लागें (से. नि.)
सी-2-26/7, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.).

4. एम. डब्ल्यू. ओ. सुभाष राय (से. नि.)
सिंधानिया बिल्डिंग, महोबाबाजार रायपुर (छ. ग.).

(ब) 1. श्री विजय तिवारी, मेनरोड गीदम, पो. आ. गीदम, जिला दंतेवाड़ा (छ. ग.)
2. डॉ. डी. पी. अग्रवाल, ऋषि कालोनी, दयालबंद, बिलासपुर (छ. ग.)

Raipur, the 1st February 2005

No. F 12-2 (Home)/SW/2003.—The State Government hereby makes the following amendment in Department Notification Number 2082/1167/2001, dated 20th March, 2001 :—

AMENDMENT

In the said Notification,

The Member Number 1 to 4 of the heading (A) and the Member Number 1 and 2 of the heading (B) of non-official Member of serial Number 5, the following Member shall be substituted :—

(A) 1. Wing Commander S. Singhwani (Retd.)
27/197, Sindhiwani House, Jawahar Nagar, Raipur.

2. Lt. Col. G. B. Ghatge (Retd.)
33/197, Near Uttarayan Hanuman Mandir,
Budapara, Raipur, (C.G.).

3. Commander B. R. Lange (Retd.)
C-2-26/7, New Rajendra Nagar,
Raipur, (C.G.).

4. MWO Subhash Rai (Retd.)
Singania Building,
Mahoba Bazar, Raipur, C.G.

(B) 1. Shri Vijay Tiwari
Main Road Geedam,
P.O. Geedam, Distt. Dantewada, C.G.

2. Dr. D. P. Agrawal
Rishi Colony, Dayalband,
Bilaspur, C.G.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद तिवारी, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2004

क्रमांक एफ-9-29/गृह/दो/04.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जनवरी, 2004 को प्रश्नपत्र ''लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित)'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती बबीता कमलेश	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	निम्नस्तर
2.	कु. अभिलाषा बघेल	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन	निम्नस्तर
3.	श्री संजीवन तिर्की	सहायक ग्रेड-1	निम्नस्तर
4.	कु. कुसुम कान्ता टोप्पो	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2004

क्रमांक एफ-9-1/गृह/दो/04.—सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 19 जनवरी, 2004 को प्रश्नपत्र ''दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रश्नपत्र प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र (दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना)'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री भोला प्रसाद गुप्ता	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर
2.	श्री नेमचंद महोबिया	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्नपत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	उत्तीर्ण होने का स्तर (5)
1.	श्री अधीनराम ध्रुव	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय	निम्नस्तर
2.	श्री चैतराम पाटिल	राजस्व निरीक्षक	प्रथम	निम्नस्तर
3.	श्री थानसिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	प्रथम	निम्नस्तर
4.	श्री शरदचंद यादव	राजस्व निरीक्षक	प्रथम	निम्नस्तर
5.	श्री देश कुमार	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर			
6.	श्री रोहित यादव	सहायक कलेक्टर	द्वितीय	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)			
7.	श्री चितरंजन दास	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय	निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2004

क्रमांक एफ-9-118/गृह/दो/04.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29-7-2004 को प्रश्नपत्र "लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सिद्धार्थ सिंह कोमल सिंह परदेशी	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
2.	सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2005

क्रमांक एफ-11-18/16/2004.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 7 तथा धारा 33-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा :—

(अ) उक्त अधिनियम के अधीन द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करने तथा ऐसे कृत्यों को जो उन्हें सौंपे जायें, पालन करने के लिये नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित श्रम न्यायालयों का गठन करता है तथा उक्त सारणी के कॉलम(3) में तत्स्थानीय प्रविष्टि में उल्लेखित व्यक्तियों को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में पूर्वाक्षेपी प्रभाव से उनके द्वारा संबंधित श्रम न्यायालयों का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

अ.क्र. (1)	नाम श्रम न्यायालय (2)	पीठासीन अधिकारी का नाम (3)
1.	श्रम न्यायालय, दुर्ग	श्री ए. के. चौकसे
2.	श्रम न्यायालय, राजनांदगांव	श्री ए. के. चौकसे
3.	श्रम न्यायालय, रायपुर	श्री एस. के. त्रिपाठी
4.	श्रम न्यायालय, जगदलपुर	श्री एस. के. त्रिपाठी
५.	श्रम न्यायालय, विलासपुर	श्री अशोक कुमार सनोठिया
6.	श्रम न्यायालय, अंबिकापुर	श्री एस. के. टाइटस
7.	श्रम न्यायालय, रायगढ़	श्री एस. के. टाइटस

(ब) उक्त एक्ट के अधीन समस्त कार्यवाहियां जो पूर्व की अधिसूचनाओं के अधीन संबंधित स्थानों पर गठित श्रम न्यायालयों के समक्ष लंबित थी, उक्त श्रम न्यायालयों से प्रत्याहरित करता है और उन्हें वर्तमान अधिसूचना के अधीन गठित तत्स्थानीय श्रम न्यायालयों को अंतरित करता है और आदेश देता है कि वे श्रम न्यायालय जिनको कार्यवाहियां उक्त प्रकार से अंतरित की गई, उक्त कार्यवाहियां उस स्टेज से आगे चलायेंगे, जिस स्टेज पर कि वे उक्त प्रकार से अंतरित हुई है.

Raipur, the 22nd January 2005

No. F-11-18/16/2004.—In exercise of the powers conferred by Section 7 and Section 33-B of the Industrial Disputes, Act, 1947 (**XIV of 1947**) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government hereby :—

(A) Constitutes the Labour Court specified in column (2) of Table below for the adjudication of Industrial Disputes relating to any matter specified in the second schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under the said Act, and appoints the persons specified in the corresponding entry in column (3) of the said table as the Presiding Officer's of the said Court with retrospective effect from the date of taking over charge by them of the Labour Court concerned :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Labour Court (2)	Name of Presiding Officer (3)
1.	Labour Court, Durg	Shri A. K. Choukse
2.	Labour Court, Rajnandgaon	Shri A. K. Choukse
3.	Labour Court, Raipur	Shri S. K. Tripathi
4.	Labour Court, Jagdalpur.	Shri S. K. Tripathi
5.	Labour Court, Bilaspur	Shri A. K. Sanothiya
6.	Labour Court, Ambikapur	Shri S. K. Titus
7.	Labour Court, Raigarh	Shri S. K. Titus

(B) Withdraws all proceedings under the said Act pending before the Labour Court constituted under previous Notification at the place concerned and transfers them to the corresponding Labour Courts constituted under the present Notification and direct that the Labour Court to which proceedings are transferred shall proceed whith them from the stage at which they are transferred.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रॉबर्ट ह्रांग्डोला, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2005

क्रमांक एफ-5-2/2001/10-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की धारा 84 (ia) के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के संचालक मण्डल का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

1. माननीय श्री समुंद साय कच्छ	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग	सदस्य
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग	सदस्य
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग	सदस्य
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर	सदस्य
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), छत्तीसगढ़, रायपुर	सदस्य

7. मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), कार्यालय प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर. — सदस्य

8. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भारत सरकार, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश मुख्यालय, भोपाल. — सदस्य

9. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग — सदस्य

10. कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़, रायपुर. — सदस्य

11. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़, रायपुर. — प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जय सिंह म्हस्के, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2004

फा. क्र. 7175/डी-2942/21-ब/छ.ग./04.—भारत के संविधान 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण) नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए,—

"9. वेतन के बकाया का भुगतान :—

इन नियमों के अधीन वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप पुनरीक्षित वेतन का दिनांक 1 जुलाई, 2002 (अर्थात् अगस्त, 2002 देय माह जुलाई, 2002 का वेतन) से नगद भुगतान किया जाएगा. दिनांक 1 जनवरी, 1996 (जो कि 1 जुलाई, 1996 से देय है अर्थात् अगस्त, 1996 से देय जुलाई, 1996 का वेतन) से यह आगामी या पश्चात्वर्ती वेतनवृद्धि की तारीख से निर्धारित वेतन पर देय कुल परिलब्धियों एवं विद्यमान वेतन पर प्राप्त कुल परिलब्धियों के दिनांक 30 जून, 2002 तक के अंतर की बकाया राशि आयकर की कटौती के पश्चात् सामान्य भविष्य निधि के खाते में जमा कर दी जाएगी.

परन्तु आगे भी कि ऐसे अधिकारी जिनकी 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् तथा वेतन निर्धारण के दिनांक के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा समाप्ति/मृत्यु हुई है और सामान्य भविष्य निधि खाते का अंतिम भुगतान भी किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में बकाया राशि का भुगतान नगद किया जावेगा".

Raipur, the 7th December 2004

F. No. 7175/D-2942/XXI-B/C.G./04.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Lower and Higher Judicial Service (Revision of Pay) Rules, 2003, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,

For rule 9, the following rule shall be substituted namely,—

"9. Payment of Arrears of Pay :—

The actual arrears of pay as a result of fixation of pay under these rules shall be payable in cash from 1st July, 2002 (i.e. pay for the month of July, 2002 payable in August, 2002). The entire amount of difference of emoluments payable on the pay fixed on 1st January, 1996 (which is payable from 1-7-1996 i.e. pay for the month of July, 1996 payable in August, 1996) or from the date of next increment or subsequent increments and the emoluments revised in the existing pay till 30th June, 2002 after deducting of Income Tax shall be deposited in the respective Provident Fund Account of the member of Lower/Higher Judicial Service.

Provided further that in case retirement/termination/death occurs after 1st January, 1996 and before pay fixation under these rules and the final payment of Provident Fund has also drawn the arrear will be paid in cash".

Raipur, the 13th January 2005

No. 339/XXI-B/C.G./05.—In supersession of the previous department's Order No. 989/XXI-B/C.G./04 dated 10/24-2-04, No. 701/XXI-B/C.G./04 dated 27-11-04, and order No. 7274/B-3034/31-B/C.G./04 dated 16-12-04 State Government of Chhattisgarh hereby provide additional facility to retired High Court Judges of Chhattisgarh High Court as under :—

1. Sanctioned Secretarial Assistance allowance Rs. 3000/- (Rs. Three Thousand only) per month.

2. Increases Orderly allowance Rs. 1500/- to 2000/- per month.

3. Sanctioned Rs. 1500/- (One Thousand Five Hundred only) for Telephone expenditure per month.

4. State Government will reimburse their Medical expenditure and cost of medicines purchased for themselves and their dependent incurred in treatment in Government Hospital, recognized hospital by State Government of Chhattisgarh and hospital situated in parent State of retired Judges of Chhattisgarh High Court where they are residing after the retirement.

The Judges are entitled above financial benefits from 27-11-04 and they will get claim from High Court situated in their parent State and expenditure shall be reimbursed regularly by High Court of Chhattisgarh to concern High Court.

5. The above expenditure will credited to Grant No. 29-2014-Judicial-Administration (102) High Court (573) High Court-Charge S. No. 01 Pay and Allowances etc. 009-Medical treatment allowances, 008 and other allowances 02 wages, 04-office expenditure-002-Telephone expenditure, as sanctioned respectively.

The concurrence of department of Finance has been duly accorded by U.O. No. 02/B-3 dated 25-10-04, 1620/B-3 dated 14-12-04 and U.O. No. 08/1619/B-3/4/04 dated 7-1-2005.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2005

फा. क्र. 815/259/21-ब/छ. ग./2005.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शकील अहमद अधिवक्ता, जगदलपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-1-2006 तक की परिवीक्षा अवधि के लिये जगदलपुर के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2005

फा. क्र. 817/259/21-ब/छ. ग./2005.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती उमा पाण्डे अधिवक्ता, जगदलपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-1-2006 तक की परिवीक्षा अवधि के लिये जगदलपुर जिले के लिए प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2005

क्रमांक आर-13/व्ही.आई.पी./13/2004.—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील हो जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 172 के प्रावधान अनुसार अंकित अवधि तक विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कार्यरत रहेगा. इस स्थिति के प्रकाश में राज्य शासन श्री वी. के. वर्मा, कार्यपालिक संचालक (वित्त), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक संविदा आँधार पर सदस्य (वित्त), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल नियुक्त करता है.

2. नियुक्ति अवधि की सेवाशर्तें पृथक से जारी की जाएगी.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2005

क्रमांक 193/13/2005.—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील हो जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 172 के प्रावधान अनुसार अंकित अवधि तक विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कार्यरत रहेगा. राज्य शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 204/47/ऊर्जा/03, दिनांक 28 फरवरी, 2004 द्वारा नियुक्त सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, श्री बी. के. शर्मा के मण्डल की सेवाओं से दिनांक 31 जनवरी, 2005 को सेवानिवृत्त होने पर राज्य शासन श्री ए. के. द्विवेदी, मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को अन्य आदेश तक सदस्य (पारेषण एवं वितरण), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल नियुक्त करता है. नियुक्ति अवधि में सेवाशर्तें वही होंगी जो पूर्व में मण्डल में कार्यरत अधिकारियों के सदस्य की नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

क्रमांक एफ-1-29-2004-13-1.—ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक आर-216/13/03 दिनांक 13 सितम्बर, 2004 द्वारा श्री राजीव रंजन, कार्यपालिक संचालक, पावर फाईनेंस कार्पोरेशन, नई दिल्ली की सेवाएं "प्रतिनियुक्ति" पर लेते हुए अन्य आदेश तक अध्यक्ष, छ. रा. विद्युत मण्डल नियुक्त किया गया है. शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि इनकी नियुक्ति "प्रतिनियुक्ति" के स्थान पर "संविदा" आधार पर होगी. शासन द्वारा इनकी सेवा शर्तें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

(1) मूल वेतन, अवरोध भत्ता एवं महंगाई भत्ता पावर फाईनेंस कार्पोरेशन के समकक्ष ही पात्रता होगी.

(2) अवकाश यात्रा सुविधा एवं चिकित्सा सुविधा मण्डल के वरिष्ठतम अधिकारी (कार्यपालक संचालक) को देय अनुसार पात्रता होगी.

(3) ग्रुप इंश्योरेंश, कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण की सुविधा पावर फाईनेंस कार्पोरेशन के अनुरूप पात्रता होगी.

(4) राज्य विद्युत मण्डल द्वारा मण्डल के अध्यक्ष हेतु निर्धारित अतिथि सत्कार भत्ता रुपये (वर्तमान में रुपये 6000/- प्रतिमाह) देय होगी.

(5) उक्त वेतन के अलावा राज्य विद्युत मण्डल द्वारा मण्डल के पूर्व अध्यक्षों को दी जा रही सुविधाओं की पात्रता होगी.

(6) नियुक्ति अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

(7) नियुक्ति के दौरान श्री राजीव रंजन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2005

क्रमांक 950/8865/04/19/तक.—राज्य शासन एतद्द्वारा फुण्डा मोतीपुर अमलेश्वर मार्ग के कि.मी. 23/6 पर स्थित महादेव घाट पुल की निर्माण लागत की राशि पथकर के रूप में पूर्ण रूप से वसूल की जा चुकी है. अतः विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/उन्नीस, दिनांक 29 जून, 1998 के अनुरूप उक्त पुल पर लगाया गया पथकर दिनांक 1-4-2005 से समाप्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 1290/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	अचानकपुर	0.52	अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला जल संसाधन उप संभाग क्र. 3, दुर्ग.	अचानकपुर जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 1292/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	तुलसी	0.71	अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला जल संसाधन उप संभाग क्र. 3, दुर्ग.	खुड़मुड़ी जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 1294/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	फुन्डा	1.32	अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला जल संसाधन उप संभाग क्र. 3, दुर्ग.	अचानकपुर जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक प्र. 1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03 दुर्ग, 1353.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	लासाटोला प. ह. नं. 21	13.94	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	लासाटोला माइनर नहर क्र. 1 एवं 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन (मुख्यालय दुर्ग) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

क्रमांक 970/ले..पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	रानीतराई प. ह. नं. 4	0.40	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोंहदीपाट परियोजना के अंतर्गत बुढेना वितरक नहर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

क्रमांक 970/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	सिंगारपुर प. ह. नं. 17	18.76	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	सिंगारपुर माइनर क्रमांक 1 एवं 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

क्रमांक 970/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1394) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे; क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	झिटिया प. ह. नं. 16	33.55	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	झिटिया वितरक नहर एवं लघु नहर क्र. 1 एवं 2 सिंगारपुर लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

क्रमांक 970/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	गोड़मर्रा प. ह. नं. 16	7.40	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	झिटिया डिस्ट्रीब्यूटरी एवं गोड़मर्रा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 नवम्बर 2004

क्रमांक 6758/भू-अर्जन/अ-82 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दन्तेवाड़ा	भोपालपटनम	देपला	2.02	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक -202 के निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 नवम्बर 2004

क्रमांक 6760/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दन्तेवाड़ा	भोपालपटनम	मेटलाचेरू	1.07	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-202 के निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 नवम्बर 2004

क्रमांक 6761/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दन्तेवाड़ा	भोपालपटनम	कोतूर	0.39	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-202 के निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 नवम्बर 2004

क्रमांक 6764/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दन्तेवाड़ा	भोपालपटनम	तारलागुड़ा	0.04	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-202 के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 15 सितम्बर 2004

क्रमांक 1376/भू-अर्जन/अ.वि.अ./09-अ/82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	तोषगांव प. ह. नं. 12	4.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

क्रमांक 4043/भू-अर्जन/अ.वि.अ./16-अ/82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बसना	पतेरापाली प. ह. नं. 7	6.51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	पलसाभाड़ी जलाशय योजना के डूबान, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 नवम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/230.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	किरारी प. ह. नं. 13	1.481	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ./स.), चांपा संभाग, चांपा.	किरारी बागीन मार्ग हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनु. अधि. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2/अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	करही	1.728	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	करही जलाशय स्पील चैनल निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक 386/भू-अर्जन/अ.वि.अ./19-अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-कारागुला, प. ह. नं. 113/60
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.25 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
146	0.10
144	0.03
145	0.03
142	0.02
136	0.15
137	0.01
138	0.08
135	0.05
134	0.06
133	0.04
132	0.03
131	0.11
130	0.07
129	0.07
128	0.01
127	0.06
125	0.03
124	0.04

(1)	(2)
123	0.03
89	0.20
88	0.03
योग 21	1.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अपर जोंक परियोजना के माइनर क्र. 4 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 100/भू-अर्जन/अ.वि.अ./5-अ/82/सन्2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-मनबाय, प. ह. नं. 109
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121/9	0.10
121/8	0.25
121/6	0.18
121/5	0.21
121/2	0.12
32/2	0.07
32/1	0.22
35/4, 35/2, 35/10	0.16
35/6	0.03
35/8	0.05
27	0.22
2	0.30
2	0.20
25/4	0.03
योग 12	2.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोटरी पानी जलाशय क्र. 2 के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 3 नवम्बर 2004

क्रमांक 1584/प्र. 1/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-परसतराई, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.45 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
460	0.22
461/1	0.12
462	0.32
463	0.18
464	0.12
479	0.37
480	0.08
488/2	0.09
489/1	0.42
489/2	0.03
490	0.40
491	0.08
503	0.02
योग 13	2.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना की परना माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 नवम्बर 2004

क्रमांक 1584/प्र. 1/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-परना, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.82 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
5	0.04
7	0.20
8/1	0.22
8/3	0.18
8/2	0.05
11	0.53
14	0.05
17	0.17
15	0.18
41	0.28
42	0.02
43/1	0.01
43/2	0.21
46	0.21
47	0.22
48	0.01
49	0.02
50	0.28
51	0.05
58	0.08
59	0.80
53	0.01
योग 22	3.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना की परना माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 नवम्बर 2004

क्रमांक 1584/प्र. 1/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
95	0.02
96	0.30
97/1	0.02
97/2	0.25
99	0.26
98	0.16
109	0.10
110	0.03
117	0.18
111	0.01
112	0.30
113	0.20
116	0.02
योग	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना की लासाटोला माइनर क्र. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 नवम्बर 2004

क्रमांक 1584/प्र. 1/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-लासाटोला, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.94 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
81	1.80
308	0.22
84	1.84
373	0.09
374	0.17
375	0.13
397	0.17
399	0.64
376	0.20
377	0.02
753	0.03
754	0.05
379	0.20
380	0.12
381/1	0.07
381/2	0.15
396	0.25
431	0.02
398	0.03
410	0.25
411	0.25
413	0.02
424	0.27
727	0.17
425	0.08
427	0.13
428	0.15
307	0.17
309	0.20
725	0.36
710	0.05
711	0.30

(1)	(2)
712	0.18
713	0.03
714	0.06
802	0.15
715	0.18
801	0.17
724	0.05
726	0.18
742	0.10
747	0.10
748	0.22
749	0.23
750	0.10
751	0.01
777	0.10
798	0.20
799	0.17
800	0.15
803	0.25
696	0.50
85	0.22
133	0.01
134	0.37
143	0.05
122	0.15
121	0.06
123	0.06
112/1	0.10
112/2	0.27
113/1	0.30
114	0.12
115	0.07
132/2	0.20
112/7	0.18
120	0.02
132/1	0.03
योग	13.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना की लासाटोला माइनर क्र. 1 एवं 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 नवम्बर 2004

क्रमांक 1584/प्र. 1/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-परसवानी प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.44 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
387/1	0.25
387/2	0.64
383	0.02
384/1	0.08
384/4	0.05
384/2	0.16
386	0.17
380	0.07
योग	1.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना की घीना माइनर क्र. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 नवम्बर 2004

क्रमांक 1584/प्र. 1/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-बोरगहन, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.63 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1	0.65
14	0.26
5/1	0.10
8	0.02
9	0.15
13	0.28
19	0.16
45	0.23
20	0.14
31	0.13
21	0.22
32	0.02
29	0.14
67	0.03
30	0.15
43	0.32
44	0.13
53	0.15
56	0.21
57	0.16
58	0.03
59	0.20
65	0.06
66	0.25
55/2	0.01
5/2	0.43
योग	4.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना की मनकी माइनर क्र. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 20 अक्टूबर 2004

क्रमांक 170/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया बैकुण्ठपुर

(ख) तहसील-खड़गवां

(ग) नगर/ग्राम-कोड़ा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1123	0.55
1137	0.18
1193	0.37
1204	0.90
1208	0.08
1209	0.22
1212	0.40
1192	0.56
योग 8	3.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कांसाबहरा भौता मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कोरिया बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 20 अक्टूबर 2004

क्रमांक 170/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया बैकुण्ठपुर
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-नेवरी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.69 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
811/1	0.06
811/4	0.06
811/3	0.06
327	0.25
328	0.06
455	0.08
450	0.16
242	0.05
488	0.04
347	0.15
263	0.22
388	0.06
436	0.15
432	0.36
302	0.02
306	0.02
309	0.05
329	0.03
301	0.07
305	0.06
307	0.05
303	0.05
304	0.09
230	0.08
324	0.03
331	0.25
299	0.02
300	0.02
308	0.06
330	0.04
262	0.02
390	0.05
398	0.05
84	0.32
93	0.16
214	0.10
321	0.09
319	0.32
241	0.06
269	0.20
37	0.19
38	0.09
41	0.11
54	0.09
42	0.08
55	0.20
87	0.30
88	0.02
86	0.09
89	0.30
30	0.03
योग 51	5.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कांसाबहरा भौता मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कोरिया बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमीर अली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्रमांक 04/अ-82/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-गोबर्रा, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.39 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2/1	0.02
10/2, 11/1 ख	0.03
12	0.03
16	0.34
23/2	0.18
15/2	0.36
23/1	0.02
24/3	0.07
24/4	0.34
योग 9	1.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हैम्प व्यपवर्तन दायीं तट नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अगस्त 2004

क्रमांक 1267.—भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 16-9-03, क्रमांक 1234 का छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1, क्रमांक 41 के पृष्ठ क्रमांक 2407 व 2408 में दिनांक 10-10-2003 को प्रकाशित हुआ है. उक्त अधिसूचना निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घिवरा, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.619 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
पूर्व में प्रकाशित	
203/16	0.251
203/36	0.231
203/29	0.348
203/15	0.295
203/39	0.101
203/6	0.081
203/17	0.024
203/28	0.049
166/5	0.101
162/4	0.138
योग 10	1.619
संशोधित	
203/16	0.028
203/36	0.129

	(1)	(2)
	203/29	0.348
	203/15	0.295
	203/37	0.101
	203/6	0.081
	203/17	0.280
	203/28	0.049
	169/5	0.101
	162/4	0.138
	203/20	0.069
योग	11	1.619

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2004

क्रमांक 1745/वा-1/भू-अर्जन/09/अ/82-02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम-आड़पाथर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.92 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	115	0.77
	195/1	0.60
	116	0.46
	117	1.11
	161	1.00
	110	0.10
	120, 243	0.30
	159	0.25
	149/3	0.56
	158/6	0.10
	157/1, 158/1	0.28
	227/2, 227/3, 229/3	0.13
	207/1, 229/4, 230/2	0.58
	229/2	0.82
	230/1	1.00
	210, 211, 212, 213, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 221/2, 224/2	0.16
	208/1, 209/1	0.21
	222	0.70
	164/4, 207/2, 227/5, 228/1	0.52
	224/1, 227/1	0.40
	233	0.14
	235, 236/3, 236/4, 237/1	1.26
	234/7, 236/5, 237/7	0.42
	234/4	0.33
	237/3	0.44
	223	0.18
	232	0.10
योग		12.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-गिरसुल व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डुबान एवं नहर नाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2004

क्रमांक 1744/वा-1/भू-अर्जन/12/अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-गिरसुल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.39 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
29/2	0.10
28/3	0.40
28/4	0.20
26/3, 27/2	0.35
26/2, 27/1	0.28
26/1	0.40
25/6	0.15
25/8	0.15
25/5	0.21
22/6	0.35
22/4	0.15
9/13	0.05
21/7	0.66
9/5, 9/6, 9/8, 9/9, 21/3, 21/4	0.52
9/4, 12/3, 18/1	0.80
13/1, 17/5	0.02
12/2, 18/2, 19/2, 20/1, 21/2	0.15
16/5, 17/2, 19/1, 28/1	0.25
17/3	0.20
योग	5.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-गिरसुल व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर नाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियावंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-रावो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-163.545 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/2	0.202
12/3	0.162
97/10	0.101
75/4	1.000
17/1	0.594
66/2	0.101
93/1	0.785
67/1	0.191
174	0.324
57/2	0.202
103/3	0.809
123/1	0.600
86/2	0.706
87/12	0.202
230	0.829
40/4	0.624
40/7	0.809
52/4	0.202
78/2	0.708
52/5	0.446
169	1.910

(1)	(2)	(1)	(2)
94/1	0.462	67/3	0.190
125/4	0.049	123/2	0.938
125/3	0.049	176	0.227
20/4	0.526	75/2	1.124
100/2	1.711	75/6	0.374
8/3	0.243	170/12	0.405
88	0.534	78/9	0.375
63	1.951	181/1	0.731
170/14	1.364	74/2	0.849
186/1	0.600	101/2	0.300
86/3	0.706	100/3	1.000
97/3	0.243	179/2	0.328
97/13	0.405	181/5	0.732
166/3	0.162	86/2	0.706
170/13	1.363	51	0.162
75/5	1.000	56/4	0.166
6/2	0.182	87/8	2.023
181/2	0.731	166/2	0.243
179/1	1.651	2/5	0.405
73	0.129	87/11	0.405
105/2	0.307	93/2	0.485
123/3	0.089	186/3	0.090
82/2	2.023	2/4	0.202
14/4	0.525	99	0.930
40/2	0.560	187/2	0.405
40/12	3.018	170/10	0.628
40/5	0.405	15	0.332
52/2	0.295	186/2	0.120
98	0.388	170/11	0.154
52/6	0.243	71/2	0.688
192	0.243	104	0.077
94/3	0.191	74/1	1.000
125/2	0.170	71/1	0.324
55/3	0.148	60/1	0.163
125/1	0.169	170/8	0.024
101/3	0.299	170/9	0.112
103/4	0.299	60/2	0.210
52/7	0.445	170/18	0.089
17/3	0.594	170/22	0.045
9/2	0.219	78/10	0.097
175	0.809	4/4	0.121
22	0.186	126	0.275
75/1	0.500	97/5	0.243

(1)	(2)	(1)	(2)
97/11	0.101	8/6	0.202
97/16	0.119	8/5	0.049
97/2	0.243	170/2	0.024
97/14	0.404	170/21	0.016
56/2	0.182	92	1.266
181/3	0.732	170/15	0.024
14/5	0.308	170/17	0.141
165	3.630	4/5	0.043
182	1.400	87/9	0.867
172	2.946	101/1	0.299
87/3	0.607	55/1	0.149
93/3	0.300	97/6	0.121
181/4	0.732	97/12	0.239
121/1	0.137	55/2	0.149
57/1	0.9[illegible]3	97/9	0.101
87/4	0.809	8/4	0.202
80/2	0.607	67/4	0.190
78/3	0.237	54	1.250
67/5	0.190	40/10	0.549
69	0.486	178	1.530
12/1	0.162	189	1.750
74/3	1.000	180	1.598
2/2	0.017	68/1	0.260
67/2	0.190	97/1	0.049
9/3	0.219	4/6	0.043
2/1	0.485	87/10	0.867
56/1	0.162	21/2	1.000
78/5	0.405	78/7	0.097
87/6	1.294	170/24	0.020
2/3	0.202	170/25	0.111
131/3	0.070	170/20	0.081
75/7	0.219	170/23	0.024
53/1	0.385	60/3	0.202
12/2	0.162	87/14	0.910
80/1	3.850	170/6	0.243
57/3	0.202	184/2	2.979
121/2	0.113	6/1	0.020
9/1	0.218	11	1.619
58	0.202	40/8	0.328
177/2	0.729	8/1	0.358
173	0.567	103/5	0.109
103/2	0.162	80/3	0.607
75/3	0.386	177/1	4.188

(1)	(2)
187/1	0.725
78/4	0.405
87/1	2.469
52/1	1.575
78/8	1.136
14/1	0.080
232	0.705
53/2	0.386
10/5	0.065
167/4	0.130
78/6	1.257
61	0.947
10/2	0.065
167/2	0.261
89/3	0.420
10/4	0.129
89/5	0.840
89/1	0.266
231/1	0.613
55/4	0.149
97/8	0.101
97/15	0.301
68/2	1.385
166/1	0.251
234/1	0.688
40/11	3.000
66/1	0.765
68/3	1.386
90/1	1.438
183	3.011
78/11	0.097
100/1	2.000
4/3	0.043
87/7	0.868
8/7	0.052
62	0.930
170/16	0.154
170/19	0.081
87/13	0.607
128	0.151
170/7	0.648
190	0.708
7	0.474
14/2	0.573
94/2	3.285
17/2	0.594
170/1	1.364
80/4	0.168
185	3.840
4/2	0.132
184/1	1.214
4/1	0.121
78/1	0.938
13	0.947
193/1	0.537
52/3	0.081
86/1	0.720
89/6	0.420
167/5	0.130
87/5	1.214
10/1	0.065
89/2	0.420
10/3	0.065
167/3	0.130
89/4	0.162
167/1	0.260
235	1.295
103/1	0.110
97/4	0.243
97/7	0.138
53/3	0.386
90/2	1.438
29	0.874
14/3	0.226
20/3	0.420
21/1	0.278
90/3	1.438
योग	163.545

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-डेहरीडिही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-83.519 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33	0.053
64/1	0.598
64/2	0.891
65/2	2.000
71/2	0.141
88/3	0.309
82	1.222
230	0.571
77/1	0.184
100/1	0.344
85/3	0.281
78	0.162
135	0.097
79/2	0.171
179/2	0.607
179/3	0.864
79/4	0.074
238	0.057
83/1	0.080
81/4	0.304
132/3	0.099
81/2	0.242
132/1	0.324
83/2	0.141
(1)	(2)
100/2	0.344
87	0.162
233	0.243
88/2	1.806
94/1	0.983
93	0.842
209	0.283
95	0.547
96	0.963
250/2	0.207
76/2	0.365
76/1	0.364
71/1	1.675
72	0.951
73	0.129
74	0.138
75	0.849
85/1	0.280
77/2	0.185
100/3	0.345
79/1	0.172
179/1	1.728
178	0.036
79/3	0.097
255	0.081
179/4	0.864
80	0.587
81/1	0.242
132/2	0.099
133/1	0.182
81/3	0.304
133/2	0.028
85/2	0.280
86	0.202
130	0.352
88/1	0.500
91	0.046
250/1	0.202
98/2	0.210
94/2	0.340
243	0.376
98/1	0.227
99	0.121

(1)	(2)	(1)	(2)
180	0.069	195/2	0.186
210	0.138	252/5	0.159
227	1.138	213/2	0.210
120	0.729	195/1	0.170
124/2	0.312	103/1	0.255
126/1	1.085	105	1.914
129/2	0.809	207/1	1.500
131	0.295	211	0.692
134	0.121	216	0.547
254/3	0.117	176/3	1.214
214/1	0.465	122	0.466
176/2	0.809	175	0.166
199	0.158	101	0.121
246/1	0.238	102	0.356
203	0.625	119	1.214
260/3	0.405	124/1	0.316
36	0.283	125	0.987
208	0.283	126/2	1.084
205	0.360	231/2	0.304
229	1.392	229	1.392
231/5	0.291	239	0.057
231/4	0.290	137	0.753
231/6	0.121	214/2	0.674
245/3	0.041	197	0.202
245/7	0.145	201	0.227
254/4	0.222	200	0.036
234	1.117	244/2	0.158
235	1.946	204	0.628
256	0.526	206	1.254
241	0.077	212	0.138
245/6	0.244	260/2	0.810
242	0.526	231/3	0.993
245/1	0.145	215	0.717
245/2	0.304	231/1	0.550
97/1	0.099	232	0.081
247	0.081	245/4	0.222
228/1	1.150	245/8	0.121
250/3	0.202	97/2	0.099
252/1	0.437	236	0.348
252/2	0.159	237	0.348
252/3	0.120	240	0.073
34/1	0.451	253/2	0.147

(1)	(2)
245/9	0.194
244/1	0.809
245/5	0.121
253/1	0.148
246/2	1.519
217	0.227
248	3.889
258	0.356
252/4	0.040
34/2	0.225
252/6	0.040
213/4	0.105
213/6	0.271
213/5	0.166
257	2.634
35	0.421
103/2	0.105
121	0.405
207/2	1.510
214/3	0.715
89/2	0.405
92	0.047
योग	83.519

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-डोकरबुड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-61.876 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	1.275
1/3	1.473
1/5	1.440
73/3	0.248
4/1	0.189
18	0.502
35/2	0.083
58/5	0.263
58/10	0.195
58/7	0.284
58/13	0.425
74/6	0.172
58/11	0.425
64/1	0.951
66/4	0.137
70	0.089
74/2	0.138
74/4	0.106
74/5	0.208
76/2	0.182
83/1	0.939
99/1	0.068
106/2	0.465
106/4	0.101
99/6	0.157
95	0.765
73/2	0.248
66/3	0.139
2/1	0.523
4/2	0.347
35/1	0.083
58/4	0.664
58/6	0.263
58/12	0.425
58/9	0.586
74/1	0.032
58/8	0.586
62/1	1.646
19/1	0.678
73/1	0.249
75	0.243

(1)	(2)
74/3	0.162
74/7	0.101
76/1	0.178
79/2	2.023
83/2	0.295
99/2	0.470
99/4	0.168
99/5	0.047
99/7	0.050
106/1	0.024
26	0.814
27/3	1.145
57/1	0.892
1/4	1.092
1/6	1.068
68	0.356
3/1	1.024
7	0.405
30/1	2.214
174	0.141
173/1	1.081
173/2	0.360
67/1	0.231
69	0.255
72	0.332
77	0.360
87	1.947
91/3	0.101
91/2	0.121
93/1	0.607
93/3	0.392
112/6	0.061
112/8	0.433
96/1	0.339
97	2.975
99/8	0.202
110	0.146
112/3	0.405
112/5	0.202
20	0.607
22	0.360
25/1	0.239
29/1	0.819
23	0.943
27/1	1.145
62/2	0.962
57/2	0.277
27/2	0.405
1/7	0.172
82	0.930
5	0.405
6	0.202
30/2	0.688
34/1	2.420
34/2	0.806
65	0.672
67/2	0.028
71	0.587
80	1.072
81	0.368
91/1	0.316
91/5	0.304
91/4	0.607
112/4	0.162
109/2	0.036
93/2	1.000
112/9	0.141
15/2	0.428
99/3	0.129
99/10	0.210
112/2	0.242
112/1	0.242
112/7	0.169
21	0.603
24	0.910
25/2	0.239
29/2	0.820
योग	61.876

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2005.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बिलासखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.028 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
113	0.251
114/2	0.055
116	0.133
120	0.849
122/1	0.444
122/3	0.223
131/1	0.321
131/3	0.175
132	0.166
135	0.227
138/2	0.181
136	0.849
114/1	0.055
114/4	0.112
117/1	0.066
123	0.405
122/2	0.445
122/4	0.223
131/2	0.321
131/4	0.176
133	0.214
137	0.255
119	1.214
138/3	0.668
योग	8.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-पाकादरहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.571 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
61	0.034
74	0.040
71/2	0.065
72	0.028
78	0.328
87/3	0.081
24	0.624
28/2	0.117
70/2	0.020
26	0.036
27	0.024

(1)	(2)
70/1	0.073
70/3	0.024
29	0.108
31/1	0.050
71/1	0.018
59	0.047
75/1	0.077
81	0.045
83	0.036
85/2	0.066
63	0.279
76	0.344
71/3	0.109
79/2	0.263
79/1	0.502
149	0.105
25/3	0.081
64	0.016
80/2	0.243
60	0.308
28/3	0.187
28/1	0.097
80/1	0.259
30	0.159
31/4	0.020
58/1	0.129
75/2	0.081
77	0.024
86	0.295
85/1	0.093
योग	5.571

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.